भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2644

11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी अस्पतालों का विनियमन और रोगियों का आर्थिक शोषण से संरक्षण

2644. श्री संत बलबीर सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी अस्पताल परामर्श, नैदानिक परीक्षणों, चिकित्सीय प्रक्रियाओं, कक्ष किराया, उपभोज्य सामग्रियों तथा अन्य चिकित्सा सेवाओं के लिए रोगियों से अत्यधिक शुल्क वसूलते हैं, यदि हाँ, तो ऐसी प्रथाओं को विनियमित करने और रोगियों को आर्थिक शोषण से संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) अस्पतालों के बिलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अत्यधिक शुल्क वसूली को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोगियों को उपचार के दौरान की गई प्रत्येक चिकित्सीय प्रक्रिया एवं जांच के औचित्य सहित मद-वार बिल उपलब्ध कराया जाए, कौन-कौन से तंत्र मौजूद हैं; और

(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान निजी अस्पतालों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय होने के कारण, अस्पताल की बिलिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अधिक शुल्क वसूली को रोकने और निजी अस्पतालों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का समाधान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। अतः, जब कभी निजी अस्पतालों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया जाता है। इस संबंध में आंकड़े और ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

तथापि, चिकित्सा की मान्यताप्राप्त पद्धतियों से संबंधित सरकारी (सशस्त्र बल संबंधित स्थापन को छोड़कर) के साथ-साथ निजी नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए भारत सरकार ने नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीई अधिनियम) अधिनियमित किया और नैदानिक स्थापन (केंद्र सरकार) नियम, 2012,यथासंशोधित 2018 और 2020, (सीई नियमावली) को अधिसूचित किया। नैदानिक स्थापन अधिनियम के अनुसार, नैदानिक स्थापनों को प्रदान की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की सेवा के लिए न्यूनतम मानकों की शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। नैदानिक स्थापन अधिनियम को 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (12 राज्यों, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और 7 संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी) द्वारा अपनाया गया है। नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए, नैदानिक स्थापन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

i. प्रत्येक नैदानिक स्थापन को रोगियों की सुविधा के लिए, प्रदान की जाने वाली प्रत्येक सेवा और उपलब्ध सुविधाओं के लिए ली जाने वाली दरों को स्थानीय और अंग्रेज़ी भाषा में किसी ऐसी जगह पर प्रदर्शित करना होगा जहाँ वे आसानी से दिख सकें।

ii. नैदानिक स्थापन प्रत्येक प्रकार की प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए दरों की उस सीमा के भीतर शुल्क लेंगे जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से निश्चित और जारी की हैं। इस संबंध में, केंद्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कई बार विमर्श किया है। यह मामला अभी भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

iii. नैदानिक स्थापन मानक उपचार दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है, इसलिए जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नैदानिक स्थापन अधिनियम को अपनाया है, वे अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीई अधिनियम के प्रावधानों को लागू/ कार्यान्वित करने के लिए प्राथमिक रूप से ज़िम्मेदार हैं। इस अधिनियम ने ज़िला स्तर पर ज़िला कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को अधिकार दिया है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में शास्ति लगाने जैसी कार्रवाई कर सके। यदि अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का भी प्रावधान है। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सीई अधिनियम को नहीं अपनाया और लागू नहीं किया है, वहां के नैदानिक स्थापन का रजिस्ट्रीकरण और विनियमन संबंधित राज्य के अधिनियमों के तहत किया जाता है।

******